सम्बद्ध एक प्रोतोकोल के पाठ को भी अन्तिम रूप दिया गया और उम्मीद है कि उस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सूचना, शिक्षा, संस्कृति, खेल कूद, मंचीय कलाओं के क्षेत्रों में आदान-प्रदान करने, एक दूसरे के राष्ट्रीय पुस्तकालयों, राष्ट्रीय अभिलेखागारों और राष्ट्रीय संग्रहालयों के बीच सहयोग तथा सांस्कृतिक संपत्ति के परिरक्षण और प्राचीन मूर्तियों आदि के अवैध निर्यात को रोकने के बारे में विभिन्न अन्य प्रस्तावों पर भी बातचीत हुई। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों के यात्रियों के लिए यात्रा किए जाने वाले धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाए। दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति हुई कि एक दूसरे के देश की हिरासत में जिन असैनिक कैदियों ने अपनी सजा की मियाद पूरी कर ली है, उनकी वापसी को सुचारू रूप देने के लिए वे अपने-अपने यहां नजरबन्द असैनिक नागरिकों की सूचियां समय-समय पर देंगे।

अन्य देशों के साथ हुए करारों/सन्धियों का अनुवाद

6643. **श्री मूल चन्द डागा**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय में ऐसा कोई प्रभाग है जो अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर की जाने वाली संधियों और करारों का प्रारूप तैयार करता है और उनका हिन्दी में अनुवाद भी करता है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 और 1982-83 के दौरान कितने देशों के साथ संधिया और करार हुए और क्या उनका हिन्दी रूपान्तर तैयार कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां। लेकिन, हिन्दी रूपान्तर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा ही तैयार किया जाता है।

(ख) 1980-81 वर्ष के दौरान 17 देशों और 1982-83 वर्ष के दौरान भी 17 देशों के साथ करार/संधियां सम्पन्न की गई। इस मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1980-81 वर्ष के दौरान 21 करारों/संधियों तथा 1982-83 वर्ष के दौरान 18 करारों/संधियों का हिन्दी रूपान्तर तैयार किया गया।

(ग) सार्वजनिक महत्व के मामलों से सम्बद्ध संधियों और करारों को, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखा जाता है। अन्य संधियों/करारों जिनमें टिप्पणियों/पत्रों के आदान-प्रदान के रूप में संधियां/करार भी शामिल हैं, को संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद की जानकारी के लिए संप्रेषित किया जाता है और उनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

Alleged Misapproprjation by Booking Supervisor at Arakkonam Junction (S.E.R.)

6644. **SHRI ERA ANBARASU** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is fact that a huge sum of Rs. 5.82 lakhs has been misappropriated by the Booking Supervisor at Arakkonam Junction, Southern Railway between March, 1982 and July, 1983 and whether this case has been referred to Central Bureau of Investigation for probe and if not, the reasons therefor; and

(b) whether it is also a fact that in such cases, the Central Bureau of Investigation and the Vigilance Organisation of the Railways do not see eye to eye in their approach in the investigation process to pin down the offender ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF) : (a) and (b) Yes, Sir. A sum of Rs 5.83 lakhs is reported to have been misappropriated by the Booking Supervisor, Arakkonam Jn. between March, 1983 and July, 1983. This was detected by Railway staff. The case is under further investigation by the Government Railway Police, Arakkonam on a formal complaint lodged by the Station Superintendent, Arakkonam. In view of the investigation being conducted by the Railway Police, Central Bureau of Investigation did not consider it appropriate to undertake parallel investigation which is in conformity with the extant procedure. There is no difference in approach or of not seeing eye to eye between the Government Railway Police and the Central Bureau of Investigation.

बरेली और अलीगढ़ स्टेशनों के बीच रेल गाड़ियों के डीजल इंजिन और डिब्बे जोड़ना

6645. श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बरेली और अलीगढ़ स्टेशनों के बीच वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी मालगाड़ियां चलीं और इस रेलगाड़ियों की प्रति घंटा कितनी गति है;

(ख) बरेली और अलीगढ़ रेलवे में स्टेशनों के बीच कितनी रेलगाड़ियों में डीजल इंजिन लगाए गए और प्रत्येक में कितने डिब्बे जोड़े गए; और

(ग) डीजल इंजिन से चलने वाली रेलगाड़ियों की गति सीमा कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान बरेली-चन्दौसी जं० और चन्दौसी जं०-अलीगढ़ के बीच चलने वाली माल गाड़ियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

बरेली-चन्दौसी जं०

	चलने वाली माल गाड़ियों की संख्या		अलग-अलग गति	
	अप दिशा में	डाउन दिशा में	अप दिशा में	डाउन दिशा में
सभी डीजल कर्षित माल गाड़ियां	1076	2793	24.0 से 28.0	24.0 से 30.9
चन्दौसी जं०-अलीगढ़ जं०				
भाप कर्षित माल गाड़ियां	337	383	16.9 से 18.3	15.5 से 18.5
डीजल कर्षित माल गाड़ियां	400	348	21.8 से 25.2	21.0 से 24.0

(ख) डीजल इंजन चालित माल गाड़ियों की संख्या ऊपर भाग (क) में दी गयी है। डीजल रेल इंजन से कोई गाड़ी नहीं चलाई जाती। डीजल इंजनों से भिन्न अन्य इंजनों से कर्षित की जाने वाली गाड़ियों में 7 से 10 तक सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं।